संख्या-15/2020/507/46-1-2020-1701/2018

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी एवं गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कम पड रही धनराशियों हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-155/लेखा-बजट(चीनी)(पुनर्विनियोग-104)/2019-20, दिनांक 16.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-24 (चीनी) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू.1150.00 लाख में हो रही बचत रू.7.25 लाख को लेखाशीर्ष-"2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मदों यथा-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू.0.25 लाख, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू.4.00 लाख तथा 55-मकान किराया भत्ता रू.3.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मद में ही किया जाये, प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि उक्त धनराशि व्यय नहीं हो पाती है, तो उसे दिनांक 31-03-2020 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उक्त में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4. बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय लेखाशीर्ष-"2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान- के अन्तर्गत मानक मदों यथा-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद, 49-चिकित्सा व्यय तथा 55-मकान किराया भत्ता " के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई6-254/दस-2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त (बी.एम.-9 भाग-1 प्रपत्र)

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2020/507(1)/46-1-2020-1701/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।